



झारखण्ड सरकार

झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिकार अभिलेख

रैयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता							
गोविन्द गोराई, पिता-कालीपद गोराई							
जिला का नाम	पूर्वी सिंहभूम अंचल का नाम	मानगो	हलका का नाम	हल्का-1	मौजा का नाम	वार्ड नं.-8 अ.क्षे.मानगो	खाता रैयती का प्रकार
खेवट नम्बर	खाता नम्बर 193		थाना का नाम	घाटशिला	थाना नम्बर	16421	

(1)	(2)	(3)	किसम जमीन	मिजान		कैफियत / अभ्युक्ति	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस	लगान			खास शर्त
				कियारी संख्या (5)				रौ (10)	आ (11)	पै (12)	
193	435	?. अज्ञात ?. अज्ञात	रास्ता कच्चा 0	0 हेक्टर	1 आर		1- लगान सामिल खा-न-387 वनाम पंचानन्द पात्र	2	0	0	1 - कायमी
	436/क	?. अज्ञात ?. अज्ञात	शौचालय 0	0 हेक्टर	0 आर		1- लगान सामिल खा-न-387 वनाम पंचानन्द पात्र				1 - कायमी
	ख	?. अज्ञात ?. अज्ञात	1मकान पक्का खपड़ा पोस 0	0 हेक्टर	1 आर		1- लगान सामिल खा-न-387 वनाम पंचानन्द पात्र				1 - कायमी
	ग	?. अज्ञात ?. अज्ञात	1मकान पक्का खपड़ा पोस 0	0 हेक्टर	0 आर		1- लगान सामिल खा-न-387 वनाम पंचानन्द पात्र				1 - कायमी
	घ	?. अज्ञात ?. अज्ञात	कुँआ पक्का 0	0 हेक्टर	8 आर		1- लगान सामिल खा-न-387 वनाम पंचानन्द पात्र				1 - कायमी
	437	?. बिहार सरकार ?. गोविन्द	दौन-02 7	0 हेक्टर	1 आर		1- लगान सामिल खा-न-387 वनाम पंचानन्द पात्र				1 - कायमी
	438	?. बिहार सरकार ?. निज	दौन-02 7	0 हेक्टर	10 आर		1- लगान सामिल खा-न-387 वनाम पंचानन्द पात्र				1 - कायमी
	439	?. निज ?. निज	दौन-02 1	0 हेक्टर	10 आर		1- लगान सामिल खा-				1 - कायमी

<code><script language="javascript">window.print();</script></code>						न-387 वनाम पंचानन्द पात्र			
440	?. निज ?.	दौन-02 0	0 हेक्टर	11 आर		1- लगान सामिल खा-न-387 वनाम पंचानन्द पात्र		1 - कायमी	
434/4364	?. गोविन्द ?. सयर	दौन-02 2	0 हेक्टर	18 आर		1- लगान सामिल खा-न-387 वनाम पंचानन्द पात्र		1 - कायमी	
34/4404	?. कमला ?. पंचानन	गोड़ा-03 0	0 हेक्टर	3 आर		1- लगान सामिल खा-न-387 वनाम पंचानन्द पात्र		1 - कायमी	
खाता मे कुल प्लोट संख्या		11	खाता का कुल मिजान (खतियान के अनुसार)		0 72	खाता का कुल लगान		2 0 0	

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

9/15/2021

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।